

**फर्द अहकाम**


**न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर लालसोट, जिला दौसा**

किरम मुकदमा (फर्द अहकाम नियम 26 फार्म 111)

हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रामकरण बनाम विजेन्द्र कुमार मीना उपखण्ड अधिकारी लालसोट किरम मुकदमा:- प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण प्रकरण संख्या:- 5/2026	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुई
415726	<p>उपस्थित:- 1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री लेखराज शर्मा 2. अप्रार्थी सं० 2 लगा० 14 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश कुमार शर्मा</p> <p><b>आदेश</b></p> <p>संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पत्रावली विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट के यहां लम्बित वादपत्र दुरुस्ती इन्द्राज बउनवानी प्रकरण कजोड बनाम रामकरण मु०नं० 295/2025 इस आशय का पेश किया गया है कि वर्तमान आराजी ख०नं० 135 रकबा 26 बीघा 14 बिस्वा वाकै ग्राम भगवतपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित है जिसके संबंध में प्रार्थीगण द्वारा वादपत्र दुरुस्ती इन्द्राज बाबत एक वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट में प्रस्तुत कर रखा है। प्रार्थी के अभिवचन है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हुए प्रार्थीगण के कहे अनुसार नजदीक तारीख पेशीयां दी जा रही है। अप्रार्थीगण पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी सं० 1 से सांठगांठ कर एवं कानूनी कार्यवाहीयों का उल्लंघन कर पक्षपातपूर्ण निर्णय करने पर आमामादा है। इस प्रकार कथन करते हुए प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मंजूर फरमाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा के समक्ष विचाराधीन वादपत्र उनवानी कजोड बनाम रामकरण वगै० को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने के आदेश फरमाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलवी की गई। उपखण्ड अधिकारी लालसोट से तथ्यात्मक टिप्पणी प्राप्त होकर शामिल मिसल की गई।</p> <p>बहस उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण के तथ्यों को दोहराते हुए न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा के समक्ष विचाराधीन वादपत्र उनवानी कजोड बनाम रामकरण वगै० को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने के आदेश फरमाने का निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण श्री राजेश कुमार शर्मा द्वारा अधिवक्ता प्रार्थी के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि संभावनाओं के आधार पर बिना उचित कारण के पत्रावली स्थानान्तरित नहीं की जानी चाहिए।</p> <p>हमने पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा उपखण्ड अधिकारी लालसोट से प्राप्त तथ्यात्मक टिप्पणी पर गौर फरमाया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि प्रार्थी का मुख्य संदेह पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में नजदीक तारीख पेशीयां दिए जाने के संबंध में है। इस संबंध में उपखण्ड अधिकारी ने अपनी टिप्पणी में यह अंकित किया है कि प्रकरण अंतर्गत धारा 136 एल. आर.एक्ट बाबत् इन्द्राज दुरुस्ती से संबंधित है जो कि एक समरी ट्रायल है तथा मा० राजस्व मण्डल अजमेर एवं राज्य सरकार के द्वारा ऐसे प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु बार-बार दिशा निर्देश प्रदान किये जा रहे हैं। तथा प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति के आधार पर ही तारीख पेशीया नियत किया जाना भी अपनी टिप्पणी में उपखण्ड अधिकारी लालसोट ने अंकित किया है। हम अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट के इस</p>	

अतिरिक्त जिला कलक्टर  
लालसोट (दौसा)

कथन से सहमत है। चूंकि धारा 136 एल.आर.एक्ट के प्रकरण समरी ट्रायल के अंतर्गत आते हैं एवं राज्य सरकार द्वारा ऐसे प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित किए जाने के निर्देश भी हैं। न्यायालय की राय में पत्रावली पर ऐसा कोई ठोस साक्ष्य भी नहीं है जो प्रकरण में पीठासीन अधिकारी की निष्पक्षता पर संदेह करने को बाध्य करे। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निराधार एवं कपोल कल्पित तथ्यों से प्रेरित तथा मात्र प्रकरण के निस्तारण में विलंब करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया हुआ प्रतीत होता है। न्यायालय की राय में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज किया जाना उचित है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ़्तर हो।

  
अति० जिला कलक्टर  
बालसोट (बीसा)